

## उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
गृह एवं कारागार विभाग,  
संख्या 61/पी0एस0-स0चि0स्वा0/2017  
दिनांक- मार्च, 2020

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय- स्वैच्छिक रक्त दाताओं को लॉकडाउन के मध्य ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप विदित ही है कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन किया गया है। जिस कारण स्वैच्छिक रक्तदाता ब्लड बैंक में रक्तदान हेतु नहीं आ पा रहे हैं। परन्तु रक्त की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रक्तदान कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वैच्छिक रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा जारी रक्तदाता नियुक्ति पत्र (Donor Appointment Letter) को पास मानते हुए रक्तदाताओं को रक्तदान हेतु लॉकडाउन में छूट प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(नितेश कुमार झा)

सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं गृह विभाग  
तददिनांकित।

संख्या /पी0एस0-स0चि0स्वा0/2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय उत्तराखण्ड शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त राजकीय ब्लड बैंक, उत्तराखण्ड।
8. अधीक्षक, आई0एम0ए0 ब्लड बैंक, देहरादून।

(नितेश कुमार झा)

सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं गृह विभाग

Name of Blood Bank:-

## DONOR APPOINTMENT

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Please allow the bearer of this pass unimpeded before the time of expiry as he or she is on his way to the blood bank to donate blood for a requirement.

Name of the Donor .....

ID Proof of the Donor .....

Date and Time of Appointment.....

Place .....

To verify pass, please call Blood Bank

Tel. no -